

CORRECTION SLIP No.-15

[ACCIDENT MANUAL, Edition-2007]

Containing 02 items, the following Correction/Modification to Appendix-B & Chapter- IV of Accident Manual (English edition- 2007) has been made and being sent for necessary compliance.

ITEM No. 01

ECR's Correction Slip No. 15 to Accident Manual-2007 Dtd. 26.07.2021

In 'APPENDIX- B' of Accident Manual-2007, the existing Location and Beat of ART, BD. Crane and Medical Van (BG & MG) of SAMASTIPUR Division, (Last amended vide Correction Slip No.8, dated 20.10.2016), is deleted and substituted as under –

SAMASTIPUR DIVISION (BG)								
ART Base Station	Gauge	Class of Relief Train	Type	Provision/ Capacity of Crane	Provision of ARMV	Beat of ART	Beat of BD Crane	Beat of ARMV/ SPARMV
SPJ	BG	A	MFD	140 T B.D. Crane	SPARMV	SPJ-MFP-SGL (Excluding)	SPJ-MFP-SGL-NKE-PNYA (Excluding)	SPJ-MFP-SMI (Via RSUD)
						SPJ-MFP-SMI (Excluding)	SPJ-DBG-SMI-RXL-SGL (Excluding)	SPJ-MFP-BMKI
						SPJ - LSI	SPJ-DBG-SKI-JYG-Kurtha – Bardiwas (NPL)	SPJ-DBG-SMI-BGU (Excluding)
						SPJ –HPO-KGG	SPJ-DBG-SKI-HRGR	SPJ-DBG-JYG- Kurtha-Bardiwas (NPL)
							SPJ-DBG-SMI-RXL-NKE-BKF	
							SPJ-DBG-SKI-JJP-LKQ	SPJ-DBG-SKI-SRGR
						SPJ-DBG-SKI-NMA-SRGR	SPJ-DBG-SKI-HRGR SPJ-DBG-JJP-LKQ	
DBG	BG	B	MFD	Covered by SPJ	NA	DBG - LSI	SPJ-KGG-MNE-SHC-SOU-FBG (Excluding)	NA
						DBG-SMI	SPJ-HPO-MNE-SHC-BNKI-PRNC	
						DBG-SKI-JJP-SRGR	SPJ-MNE-SHC-BNKI-BHGJ	
						DBG-SKI-HRGR	SPJ-MFP-RUSD-SMI	
						DBG-SKI-JYG-Kurtha – Bardiwas (NPL)	SPJ- BCA (Excluding)	
						DBG-SKI -JJP-LKQ		
RXL	BG	B	MFD	Covered by SPJ	NA	RXL-STF-NKE-PNYA (Excl.)		
						RXL-SGL-NKE		
						RXL-NKE-BKF		
						RXL-SMI		
NKE	BG	B	NA	Covered by SPJ	ARMV	NA	NA	NKE-PNYA (Excl.)
								NKE-BMKI-SGL-RXL-BGU(Excl.)
								NKE-STF-RXL-BGU (Excluding)
SHC	BG	B	MFD	Covered by SPJ	YES	SHC-MNE-KGG		SHC-MNE-KGG
						SHC-SOU-SRGR-FBG(Excluding)		SHC-SOU-SRGR-FBG (Excluding)
						SHC-BNKI-PRNC		SHC-BNKI-PRNC
						SHC-BNKI-BHGJ		SHC-BNKI-BHGJ

Note:-

1. There is no MG sections being operational in SPJ Division, all routes are BG now.
2. Beat of ARME/SHC will be covered by SPARMV/SPJ till the time ARME/SHC made functional.
3. For ART/BD Van, the target time of being ready for dispatch is fixed as 30 mts. for day and 45mts. for night, reckoning from the time of its being ordered.
4. For Medical Van, the target time of being ready for dispatch is fixed as 15 mts. for Double Exit Siding and 25 mts. for Single Exit Siding for all locations irrespective of day and night.
5. New line section between JAYNAGAR- BIJALPURA- BARDIWAS after being operational, will be included for ART in DBG Beat, for BD Crane in SPJ Beat and for ARMV in SPJ Beat.

ECR's Correction Slip No.15 to Accident Manual-2007 Dtd. 26.07.2021

ITEM No. 02

ECR's Correction Slip No. 15 to Accident Manual-2007 Dtd. 26.07.2021

In ITEM No. 01 of Correction Slip No.14 (dated: 01.04.2021), the existing para 4.14 (B) (1) and (2)(a),(b) is deleted and modified as under-

(B) Points to be carefully noted during detailed investigation :-

- (1) Permanent Way particulars shall be recorded jointly with the SSEs/Officials of the other concerned departments as per annexures of Railway Board's Safety Directorate letter No.2018/Safety (A&R)/1/8 dated 25.01.2019. These records will inter alia include particulars of the track structures, the condition of the track components, track geometry and other relevant details.

NB: Regarding Observation / Measurement Proforma for Accident Investigation / Inquiry, also see **Appendix-N** of accident manual amended vide Correction Slip No. 12, dated 09.04.2019 in reference to Railway Board's Safety Directorate letter No.2018/Safety (A&R)/1/8 dated 25.01.19

- (2) Particulars with respect to Rolling Stock and signaling - Engineering representative should associate himself with the concerned representative of the other departments in recording measurements of -
 - (a) The locomotive as per annexures of Railway Board's Safety Directorate letter No.2018 /Safety (A&R)/1/8 dated 25.01.2019.
 - (b) Carriages and wagons measurement as per annexures of Board's letter no. 2018/ Safety (A&R) /1/8 Dated 25.01.2019; and

All concerned will correct Accident Manual, Edition-2007 accordingly and the same to be brought to the notice of all officials concerned.



(Salil Kumar Jha)

Principal Chief Operations Manager
ECR/ Hajipur

पूर्व मध्य रेल

अंतिम संशोधन पर्ची संख्या 03 दिनांक 01.04.20.21

संशोधन पर्ची संख्या- 04

दुर्घटना नियमावली-2018

02 मर्दों सहित दुर्घटना नियमावली-2018 के परिशिष्ट- बी एवं अध्याय -IV में निम्नलिखित संशोधन / आशोधन किए गये हैं जो कि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजे जा रहे हैं।

पू.म.रे./दुर्घटना नियमावली-2018 संशोधन पर्ची संख्या - 04 दिनांक: 26.07.2021

मद सं0 -1.

दुर्घटना नियमावली- 2018 के पृष्ठ सं.164 और 165 पर परिशिष्ट- बी में वर्णित समस्तीपुर मंडल के वर्तमान ए.आर.टी, बी.डी.क्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण / दुर्घटना राहत चिकित्सा यान (BG एवं MG), जिसे अंतिम रूप से संशोधन पर्ची सं. 08, दिनांक- 20.10.2016 द्वारा संशोधित किया गया था, को हटाकर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाता है -

समस्तीपुर मंडल (बड़ी लाइन)								
राहत गाड़ी का बेस स्टेशन	गेज	राहत गाड़ी की श्रेणी	प्रकार	क्रेन का प्रावधान/ क्षमता	दुर्घटना राहत चिकित्सा यान का प्रावधान	दुर्घटना राहत गाड़ी का बीट / गश्त	बी.क्रेन का बीट/ गश्त	दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण / दुर्घटना राहत चिकित्सा गश्त/यान का बीट
समस्तीपुर	बड़ी लाइन	ए	एम डी.एफ.	140 टन बी क्रेन .डी.	एस .पी. ए.आर. एम भी.	समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर सगौली (छोड़कर)	समस्तीपुर मुजफ्फरपुर- सगौली- नरकटिया- पनियहवा (छोड़कर)	समस्तीपुर- मुजफ्फरपुर- सीतामढ़ी (रुन्नीसैदपुर होकर)
						समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी (छोड़कर)	समस्तीपुर-दरभंगा-सीतामढ़ी -रक्सौल- सगौली(छोड़कर)	समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर- बापूधाम मोतीहारी
						समस्तीपुर- लहेरिया सराय	समस्तीपुर-दरभंगा-सकरी-जयनगर- कुरथा- बारदीवास (नेपाल)	समस्तीपुर-दरभंगा- सीतामढ़ी- बैरगनिया (छोड़कर)
						समस्तीपुर- हसनपुर- खगड़िया	समस्तीपुर - दरभंगा - सकरी- हरनगर	समस्तीपुर -दरभंगा- जयनगर-कुरथा - बारदीवास (नेपाल)
							समस्तीपुर-दरभंगा-सीतामढ़ी -रक्सौल-नरकटियाभिखनाठोरी	समस्तीपुर-दरभंगा-सकरी-सरायगढ़
							समस्तीपुर-दरभंगा-सकरी - झंझारपुर-लौकहाबाजार	समस्तीपुर-दरभंगा-सकरी-हरनगर
							समस्तीपुर - -दरभंगा-सकरी -निरमली -सरायगढ़	समस्तीपुर-दरभंगा- झंझारपुरलौकहाबाजार-सरायगढ़

दरभंगा	बड़ी लाइन	बी	एम डी.एफ.	समस्तीपुर द्वारा कवर किया जाएगा	लागू नहीं	दरभंगा - लहेरियासराय	समस्तीपुर- खगड़िया-मानसी-सहरसा-सुपौल-फारबिसगंज (छोड़कर)	लागू नहीं
						दरभंगा सीतामढ़ी-	समस्तीपुर- हसनपुर-रोड -मानसी-सहरसा-बनमंखी-पूर्णिया	
						दरभंगा-सकरी-झंझारपुर-सरायगढ़	समस्तीपुर-मानसी-सहरसा-बनमंखी-बिहारीगंज	
						दरभंगा-सकरी-हरनगर	समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर -रुन्नीसैदपुर-सीतामढ़ी	
						दरभंगा -सकरी - जयनगर -कुरथा - बारदीवास (नेपाल)	समस्तीपुर-बछवारा (छोड़कर)	
रक्सौल	बड़ी लाइन	बी	एमडी. एफ.	समस्तीपुर द्वारा कवर किया जाएगा	लागू नहीं	दरभंगा -सकरी - झंझारपुर - लौकहाबाजार		
						रक्सौल-सिकटा - नरकटिया-पनियहवा (छोड़कर)		
						रक्सौल-सगौली-नरकटिया		
						रक्सौल-नरकटिया भिखनाठोरी		
नरकटिया	बड़ी लाइन	बी	लागू नहीं	समस्तीपुर द्वारा कवर किया जाएगा	ए.आर. एम भी.	रक्सौल-सीतामढ़ी		लागू नहीं
							नरकटिया पनियहवा - (छोड़कर)	
							नरकटिया -बापूधाम मोतीहारी - सगौली - रक्सौल बरगैनिया (छोड़कर)	
							नरकटिया-सिकटा-रक्सौल - बरगैनिया (छोड़कर)	
सहरसा	बड़ी लाइन	बी	एम .एफ. डी	समस्तीपुर द्वारा कवर किया जाएगा	हाँ	सहरसा -मानसी-खगड़िया	सहरसा-मानसी - खगड़िया	
						सहरसा- सुपौल-सरायगढ़-फारबिसगंज (छोड़कर)	सहरसा-सुपौल-सरायगढ़-फारबिसगंज(छोड़कर)	
						सहरसा-बनमंखी-पूर्णियाँ	सहरसा-बनमंखी-पूर्णियाँ	
						सहरसा- बनमंखी-बिहारीगंज	सहरसा-बनमंखी-बिहारीगंज	

टिप्पणी:-

1. समस्तीपुर मंडल में मीटर गेज सेक्शन संचालन में नहीं है , अब सारे मार्ग बड़ी लाइन (BG) हैं।
2. सहरसा ए.आर.एम.ई. के क्रियाशील बनाये जाने तक सहरसा ए.आर.एम.ई. का बीट एस.पी.ए.आर.एम.भी./समस्तीपुर द्वारा कवर किया जाएगा।
3. ए.आर.टी/बी.डी.क्रेन के लिए,प्रेषण हेतु तैयार किए जाने का निर्धारित समय दिन में 30 मिनट तथा रात्रि के लिए 45 मिनट है, जिसकी गणना इसके आदेश दिए जाने के समय से होगी।
4. चिकित्सा यान के लिए प्रेषण हेतु तैयार किए जाने का लक्ष्य समय दिन तथा रात्रि में सभी लोकेशनों के लिए दोहरी निकास साइडिंग के लिए 15 मिनट तथा एकल निकास साइडिंग के लिए 25 मिनट है।
5. जयनगर - बीजलपुरा -बारदीवास के बीच नया सेक्शन के ऑपरेशनल होने के पश्चात ए.आर.टी. को दरभंगा बीट में, बी.डी.क्रेन को समस्तीपुर बीट में और ए.आर.एम.भी. को समस्तीपुर बीट में शामिल किया जाएगा।

पू.म.रे./दुर्घटना नियमावली-2018 संशोधन पर्ची संख्या - 04 दिनांक: 26.07.2021

पू.म.रे./दुर्घटना नियमावली-2018 संशोधन पर्ची संख्या - 04 दिनांक: 26.07.2021

मद सं0 -2.

संशोधन पर्ची सं.-14 (दिनांक-01.04.2021) के मद सं.- 01 में वर्तमान पैरा 4.14 (ख) (1) एवं (2) (क), (ख) को हटाया जाता है और निम्नवत आशोधित किया जाता है -

पैरा 4.14 (ख) :- विस्तृत जांच के दौरान सावधानीपूर्वक नोट किए जाने वाले बिन्दु

- (1) रेलपथ के विवरण- रेलपथ के विवरण संयुक्त रूप से अन्य संबंधित विभागों के एस.एस.ई./अधिकारियों के साथ रेलवे बोर्ड सेफ्टी डिरेक्टोरेट पत्र सं.2018/सेफ्टी (ए एण्ड आर)/1/8 दिनांक 25.01.2019 के परिशिष्टों के अनुसार दर्ज किए जाने चाहिए। इन अभिलेखों में अन्य बातों के साथ-साथ रेल पथ संरचनाओं के विवरण, रेलपथ ज्यामिति और अन्य संगत ब्योरे दर्ज किए जाएंगे ।

ध्यान दें:- संप्रेक्षण (observation) / दुर्घटना जांच (investigation) / इन्क्वायरी (inquiry) माप हेतु प्रपत्र (measurement proforma) के संबंध में दुर्घटना नियमावली का परिशिष्ट- एन भी देखें जिसे रेलवे बोर्ड संरक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र सं. 2018 / सेफ्टी (ए एण्ड आर)/1/8 दिनांक 25.01.2019 के अनुसार संशोधन पर्ची सं.-12 (दिनांक 09.04.2019) के तहत संशोधित किया गया है।

- (2) चल स्टॉक और सिगनल के संबंध में विवरण- माप दर्ज करते समय इंजीनियरी विभाग के प्रतिनिधि को दूसरे संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों का सहयोगी बनना चाहिए।
 - (क) लोकोमोटिव का माप रेलवे बोर्ड के सेफ्टी डिरेक्टोरेट पत्र सं.2018/सेफ्टी (ए एण्ड आर)/1/8 दिनांक 25.01.2019 के परिशिष्टों के अनुसार
 - (ख) गाड़ी और वैगन का माप रेलवे बोर्ड के सेफ्टी डिरेक्टोरेट पत्र सं.2018/सेफ्टी (ए एण्ड आर)/1/8 दिनांक 25.01.2019 के परिशिष्टों के अनुसार; और

सर्व संबंधित पूर्व मध्य रेल के दुर्घटना नियमावली- 2018 को तदनुसार संशोधित करेंगे एवं इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को संसूचित करेंगे ।



(सलिल कुमार झा)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल

सं० ई.सी.आर/दुर्घटना नियमावली/परि.सं./2/505 दिनांक: 26.07.2021